

सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

(राजस्थान)

सामग्री को अधिशेष/अप्रचलित/बेकार/स्क्रेप घोषित करने के लिए प्रपत्र

सं. _____

तिथि

उपयोगकर्ता का नाम _____

पहचान पत्र सं. _____

पदनाम _____

अनुभाग/प्रभाग _____

क्रं.	सामग्री/माल का विवरण	संख्या/ मात्रा	एल.एफ तथा जारी करने की तिथि	बही मूल्य	क्रय की तिथि	पी आई आर संदर्भ सं.

भंडार एवं क्रय सहायक

अनुभाग अधिकारी (भं.एवं क्र.)

1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर निर्दिष्ट सामग्री/मद कार्य करने की स्थिति में हैं परंतु इसे मेरे/मेरे प्रभाग द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। अतः इन मदों/सामग्री को अधिशेष (Surplus) घोषित किया जाए।
2. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर संदर्भित सामग्री (item/s) तकनीकी दृष्टि से पुरानी हो गई है और प्रयोगशाला में अब उपयोगी नहीं है। प्रतिस्थापन (बदला जाने वाला) भाग मरम्मत के लिए भी उपलब्ध नहीं है अतः इसे अप्रचलित (Obsolete) घोषित कर दिया जाए।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मद/सामग्री (Item/s) _____ वर्ष का अपना सामान्य कार्यकाल पूर्ण कर चुका है और सामान्य टूट-फूट के कारण अनुपयोगी हो चुका है। इसकी किफायत से मरम्मत भी नहीं हो सकती है अतः इसे अनुपयोगी/बेकार (unserviceable) घोषित कर दिया जाए।
4. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सामग्री/मद अत्यधिक इस्तेमाल के कारण अब उपयोगी नहीं रह गई है। इस कारण यह कबाड़/रद्दी (स्क्रेप) के समान हो गई है।
5. यह नुकसान लापरवाही के कारण नहीं हुआ है।

माँगकर्ता/उपयोगकर्ता

प्रभागाध्यक्ष

कृ.पृ.उ.

स्थायी निपटान समिति (एसडीसी)

हमने सामग्री का निरीक्षण कर लिया है और सामान्य टूट-फूट के कारण इसे अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी/बेकार पाया गया। समिति इसके निपटान के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की संस्तुति/सिफारिश करती है।

1. राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थान के लिए उपहार के द्वारा।
2. अन्य सीएसआईआर लैब को हस्तांतरण द्वारा।
3. सार्वजनिक नीलामी द्वारा ।
4. सीमित निविदा (लिमिटेड टेंडर) द्वारा।
5. समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन द्वारा।

अनुभाग अधिकारी(भं.एवं क्र.)

भंडार एवं क्रय अधिकारी

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

वित्त एवं लेखा अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन नियंत्रक

अध्यक्ष, स्थायी निपटान समिति

निदेशक महोदय से निवेदन है कि पूर्व पृष्ठ पर उल्लिखित रुपये _____ के बही मूल्य की उपर्युक्त सामग्री/उपस्कर/उपकरण/मद के निपटान और बट्टे खाते में डालने के लिए स्थायी निपटान समिति(एसडीसी) की संस्तुतियों का अनुमोदन करें।

अनुभाग अधिकारी(भं.एवं क्र.)

निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सामग्री/मद निपटान भंडार में प्राप्त किया गया है और अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार रजिस्टर में पृष्ठ सं. _____ पर क्र.सं. _____ में दर्ज किया गया है।

भंडार एवं क्रय सहायक

अनुभाग अधिकारी (भं.एवं क्र.)